संख्या 935 /XIV–1/2007

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 22 जनवरी, 2008

विषयः– सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत सीमान्त/लघु तथा श्रमजीवी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के वैयक्तिक उपयोग हेतु कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर आदि कय के लिये राजकीय अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी सहभागिता योजना के शासनादेश संख्या 571/XIV–1/ 2007 दिनांक 28.11.2007 के कम में राज्य में सहकारिता आन्दोलन को गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत सीमान्त लघु कृषकों तथा श्रमजीवी मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा वैयक्तिक उपयोग हेतु कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर आदि कय के लिये, सहकारी बैंकों से लिये जाने वाले ऋण की ब्याज दरों का 4 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर आदि कय हेतु लिये जाने वाले ऋण पर सहकारी सहभागिता योजना में वर्णित विशिष्टतायें एवं शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लागू होगीः–

(1) कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर आदि कय हेतु अधिकतम 50,000 रू0 ऋण अथवा कुल कय मूल्य का 85 प्रतिशत जो भी कम हो, की सीमा तक ऋण, जिला सहकारी बैंकों के शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) लाभार्थी को 5 प्रतिशत ब्याज दर पर कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर आदि कय के लिये ऋण दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड द्वारा जिस पर जिला सहकारी बैंकों को अलग से दिशा निर्देश दिये जायेगें।

(3) ऋण की वसूली 5 वर्षों में 60 मासिक किश्तों में (ब्याज की धनराशि के साथ) की जायेगी।

(4) लाभार्थियों के जमानती इस प्रकार से होंगे जिससे कि ऋण की वसूली में कोई कठिनाई न हो।

(5) उक्त ऋण की धनराशि केवल सहकारी अऋणी सदस्य को ही उपलब्ध करायी जायेगी।

3. यह योजना चालू वित्तीय वर्ष में जारी ऋणों तक ही सीमित रखी जायेगी।

4. सहकारी समिति/जिला सहकारी बैंक, शीर्ष सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण के अनुरूप वित्तीय राजकीय अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम, निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करने के उपरान्त

निबन्धक, सहकारी समितियां की संस्तुतियों के उपरान्त शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोंपरान्त राजकीय अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

5. राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य करायी जाने वाली सहायता का भुगतान बजट में निहित लेखाशीर्षक के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या 294(NP)/XXIV/2007 दिनांक 08.01.2008 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव।

संख्याः–935/XIV–1/2007,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2.निजी सचिव, मा0 मंत्री, सहकारिता को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3.निजी सचिव, मुख्य सचिव, एवं प्रमंख सचिव, एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
4.वित्त/ नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5.मड़लायुक्त, उत्तराखण्ड पौड़ी/ नैनीताल।
6.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8.अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
9.प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
10.समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड।
11.समस्त सचिव/ महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
12.निदेशक राष्ट्रीय,सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13.निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
14.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।